संख्या-640/2023/4327/41-2023/93 (सा0)/2023

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र०,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊः दिनांक 20 सितम्बर, 2023

विषयः-पर्यटन विभाग के बंद घाटे में चल रहे असंचालित पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, जाने के संबंध में। अयोध्या को पी०पी०पी० मोड पर विकसित व संचालित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2259/8-16 (PPP-30)/Main File/2021. दिनांक 13.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पर्यटन विभाग के बंद घाटे में चल रहे असंचालित पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, अयोध्या को पी०पी०पी० मोड पर विकसित व संचालित किये जाने के संबंध में मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि देश में पर्यटन उद्योग का परिदृश्य निरन्तर बदल रहा है एवं उक्त इकाईयों के निर्माण एवं संचालन में प्रशिक्षित / विशेषज्ञ संस्थाओं की आवश्यकता है, जिनका निर्माण एवं संचालन विशेषज्ञ संस्थाओं/निजी निवेशकों द्वारा कराया जाना पर्यटन की दृष्टिकोण से लाभकारी एवं लोकप्रिय होगा। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए व्यवसायियों एवं सेवा प्रदाताओं का आर्थिक उन्नयन होगा। उक्त के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद/घाटे में चल रहे/असंचालित पर्यटक आवास गृहों को जनोपयोगी बनाने एवं पर्यटकों के सुविधार्थ उच्च स्तरीय सुविधायें विकसित करने तथा प्रदेश में निजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

3- पर्यटन विभाग के 03 पर्यटक आवास गृहों (राही पर्यटक आवास गृह, संकिसा, फरूर्खाबाद, राही पर्यटक आवास गृह, नरौरा, बुलन्दशहर व राही पर्यटक आवास गृह, देवकली, औरैया) के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) के मध्य निविदा कराये जाने एवं आर०एफ०पी०/ डी०सी०ए० प्रपत्रों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) द्वारा अन्तिमी कृत प्रपत्रों पर मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या-23/2023 दिनांक 13 जनवरी, 2023 जारी किया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त के अनुपालन में शार्टलिस्टेड निविदा कर्ताओं के मध्य आर०एफ०पी० की ई-निविदा दिनांक 18 जनवरी, 2023 को प्रकाशित करायी गयी, जिसकी अन्तिम तिथि 07 फरवरी, 2023 निर्धारित की गयी। उक्त पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष पर्याप्त निविदायें (बिडे) प्राप्त न होने के कारण ई-निविदा खोले जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 20 फरवरी 2023, दिनांक 28 फरवरी 2023, दिनांक 03 मार्च 2023, दिनांक 10 मार्च 2023, दिनांक 04 अप्रैल 2023, दिनांक 18 अप्रैल 2023, दिनांक 28 अप्रैल 2023, दिनांक 23 मई 2023 तथा दिनांक 07 जून 2023 को कॉरिजेण्डम के माध्यम से ई-निविदा की अन्तिम तिथि को कुल 10 बार ई-टेण्डर प्रयास (Attempts) किये गये।

5- दिनांक 17-05-2023 एवं दिनांक 15-06-2023 को उत्तर प्रदेश पी०पी०पी० गाइडलाइन-2016 (संशोधित गाइडलाइन-2018) के पैरा 2.3 पर गठित PPPBEC (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के समक्ष खोली गयी। जिसमें 05 पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष निम्नवत् ई-निविदायें प्राप्त हुई:-

क्र0सं0	**पर्यटन आवास गृह का नाम**	**जनपद**	**इकाई के सापेक्ष शार्टलिस्टेड बिडर की संख्या**	**ई र प्रयासटेण्ड-)Attemptsमें (.पी.एफ.प्रकाशित आर निविदा के -की ई निविदाओंसापेक्ष प्राप्त की संख्या (बिडो)**
1	गोकुल रेस्टोरेण्ट	मथुरा	14	03
2	राही पर्यटन आवास गृह, बिठूर	कानपुर	08	03
3	राही पर्यटन आवस गृह, नरौरा	बुलन्दशहर	04	02
4	राही पर्यटन आवस गृह, संकिसा	फर्रूखाबाद	04	02
5	राही पर्यटन आवस गृह, देवकली	औरैया	03	01
6	राही पर्यटन आवस गृह, चुनार	मीरजापुर	04	0

6- उपरोक्त तालिकानुसार क्रमांक-1 व 2 पर अंकित पर्यटन आवास गृहों हेतु शार्टलिस्टेड निविदा कर्ताओं के सापेक्ष प्राप्त 03 निविदाओं, क्रमांक-3 व 4 पर अंकित पर्यटक आवास गृहों हेतु शार्टलिस्टेड निविदा कर्ताओं के सापेक्ष प्राप्त 02 निविदाओं एवं क्रमांक-5 पर अंकित पर्यटक आवास गृह के सापेक्ष प्राप्त एकल निविदा को खोले जाने तथा राही पर्यटक आवास गृह, चुनार, मीरजापुर इकाई की पुनः आर०एफ० क्यू० की ई-निविदा संबंधी कार्यवाही किये जाने पर सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2675/41-2023/113 (सा0)/2022 दिनांक 06 जून, 2023 एवं पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2966/41- 2023/113 (सा०)/2022 दिनांक 23 जून, 2023 द्वारा कार्यवृत्त जारी किया गया। सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) की संस्तुति के क्रम में मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

7- उपरोक्तानुसार बंद / घाटे में चल रहे / असंचालित प्रस्तर-6 में उल्लिखित 05 पर्यटक आवास गृहों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु प्रकाशित ई-निविदा के सापेक्ष निम्न पर्यटक आवास गृहों की लीज पर उच्चतम निविदा कर्ता (बिडर) की सूची निम्नवत् हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0सं0	पर्यटन आवास गृह का नाम	निविदाकर्ताका नाम (बिडर)	इकाई के सापेक्ष कोटेड दर की धनराशि	बिड रैंक
1	**गोकुल रेस्टोरेण्ट, मथुरा**	पेंच जंगल रिजार्ट्स प्रानई .लि. दिल्ली	54,23,999.00	एच-1
2	**बिठूर, कानपुर**	एस0पी0एण्ड0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपर्स प्रानई दिल्ली .लि.	4,02,000.00	एच-1
3	**नरौरा,जनपद बुलन्दशहर**	छाया डेवलपमेण्टसर्विसेज प्रा .लि. लखनऊ	6,11,000.00	एच-1
4	**संकिसा जनपद फर्रूखाबाद**	श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, कानपुर	6,05,000.00	एच-1
5	**देवकली जनपद औरैया**	श्री बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स, कानपुर	1,75,000.00	एच-1

8- पर्यटन विभाग के बंद घाटे में चल रहे/असंचालित 07 पर्यटक आवास गृहों / इकाईयों को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पी०पी०पी० मोड) पर विकसित एवं संचालित कराये जाने हेतु इकाईयों की आर०एफ० क्यू० की प्रकाशित ई-निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं को सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) की संस्तुति के उपरान्त निविदा कर्ता फर्मों को शार्टलिस्ट किया गया, जिसके अनुपालन में पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-1934, दिनांक 24 अप्रैल, 2022 तथा पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के कार्यवृत्त पत्र संख्या 2675/41-2023/113 (सा०)/2022. दिनांक 06 जून, 2023 एवं पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के कार्यवृत्त पत्र संख्या-2966/41-2023/113 (सा०)/2022 दिनांक 10 जुलाई, 2023 द्वारा कार्यवृत्त जारी किया गया। इकाई के सापेक्षा शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं (बिडर्स) की सूची निम्नवत् है:-

क्र0सं0	इकाई का नाम	जनपद	प्राप्त बिड की संख्या	निविदादाता फर्म का नाम
1	राही पर्यटक आवास गृह, सोरों	एटा	03	होटल जी बार एण्ड रेस्टोरेण्ट आगरा सनफ्लॉवर रेस्टोरेण्ट, आगरा पीताम्बर इण्टरप्राईसेस, आगरा
2	राही पर्यटक आवास गृह, कान्धला	शामली	03	होटल जी बार एण्ड रेस्टोरेण्ट आगरा सनफ्लॉवर रेस्टोरेण्ट, आगरा शान्ति कोमल इण्टरप्राइस, गाजियाबाद
3	राही पर्यटक आवास गृह, खुर्जा	बुलन्दशहर	03	भाटी फिलिंग स्टेशन, बुलन्दशहर के0के0 विद्युत अहमदनगर, महाराष्ट्र श्री क्रिशना कान्ट्रैक्टर्स, खुर्जा
4	राही पर्यटक आवास गृह, मुंशीगंज	अमेठी	05	बाटी चोखा रेस्टोरेण्ट, वाराणसी भाटी फिलिंग स्टेशन, बुलन्दशहर छाया डेवलपमेण्ट सर्विसेस प्रा .लि. लखनऊ किसान आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज (जेवी), फिरोजाबाद विजटेक सर्विसेस प्रालखनऊ .लि.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	राही पर्यटक आवास गृह, देवाशरीफ	बाराबंकी	03	बाटी चोखा रेस्टोरेण्ट, वाराणसी भाटी फिलिंग स्टेशन, बुलन्दशहर छाया डेवलपमेण्ट सर्विसेस प्रा .लि. लखनऊ
6	राही पर्यटक आवास गृह, हरगांव	सीतापुर	03	विजटेक सर्विसेस प्रालखनऊ .लि. माईनर बिल्डर्स प्राकोलकाता .लि. सिद्धार्थ डिस्ट्रीब्यूटर्स एण्ड सीन एलएलपीक्शकन्स्ट्र 0सी0वाई0, गोरखपुर
7	राही पर्यटक आवास गृह पटना पक्षी विहार	एटा	03	विजटेक सर्विसेस प्रालखनऊ .लि. रेण्टबाटी चोखा रेस्टो, वाराणसी एइण्ट 0जी0रप्राईसेस, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश पी०पी०पी० गाइडलाइन्स के अनुसार सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा उपरोक्त 07 पर्यटक आवास गृहों के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदाकर्ताओं एवं अन्तिमीकृत आ०एफ०पी० प्रपत्री पर मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

9- इसी क्रम में मा० मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, अयोध्या को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी०पी०पी०) मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने के लिए आर०एफ०क्यू० प्रपत्रों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आर०एफ०क्यू० की ई-निविदा ई-टेण्टर पोर्टल पर आमंत्रित की गयी। उपरोक्त प्रकाशित ई-निविदा के सापेक्ष प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) के समक्ष किया गया, जिसके सापेक्ष निम्नवत् निविदा कर्ताओं (बिडर्स) फर्मों को शार्टलिस्ट किया गयाः-

क्र0सं0	**इकाई का नाम**	**प्राप्त बिड संख्या**	**निविदादाता फर्म का नाम**
1	टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, अयोध्या	04	गरूणा कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजीनियरिंग प्रा .एच.के.पी) लि. 0र्स लिवेन्च), मुम्बई जेनेरिक इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स लि0, मुम्बई के इण्टज्वा) र्स बिल्डन एण्डक्शकन्स्ट्र .के.वेंचर विद गैलेन्ट लाईफ डेवेलपर्स प्रागोरखपुर (.लि. एस एण्ड पी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्रानई दिल्ली .लि.

उत्तर प्रदेश पी०पी०पी० गाइडलाईन्स के अनुसार पर्यटन अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-2966/41-2023/113 (सा0)/2022, दिनांक 23 जून, 2023 के माध्यम से सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा उपरोक्त टूरिस्ट फैसिलिटेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सेन्टर, अयोध्या के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदा कर्ताओं एवं अन्तिमीकृत आर०एफ०पी० प्रपत्रों पर मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

10- उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Bid Evaluation Committee) की संस्तुति के क्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-3/2018/260/83-अव0-2018-34 (अव०)/2013, दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा प्रदेश में पी०पी०पी० परियोजनाओं के संबंध में जारी "गाइडलाइन्स फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्सल्टेन्ट्स एण्ड डेवलपर्स फॉर पी०पी०पी० प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश-2016 (संशोधित गाइडलाइन-2018) के चैप्टर-3 Process Flow chart for Development of Project on PPP fte 3.3 Selection of Developer के अनुसार पर्यटक आवास गृहों को पी०पी०पी० मोड पर विकसित व संचालित कराये जाने हेतु निविदा के सापेक्ष प्राप्त उच्चतम निविदादाता फर्मों (एच-1) को इकाई लीज पर दिये जाने, आर०एफ०पी० के सापेक्ष प्राप्त निविदाकर्ता फर्मों को शार्टलिस्ट किये जाने, आर०एफ०पी० प्रपत्र अनुमोदित किये जाने तथा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, अयोध्या के आर०एफ०पी० प्रपत्र अनुमोदित किये जाने हेतु मा० मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

11- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग के बंद/घाटे में चल रहे असंचालित पर्यटक आवास गृहों एवं टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, अयोध्या को पी०पी०पी० मोड पर विकसित व संचालित किये जाने के संबंध में मा० मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 12.09.2023 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(क) आर०एफ०क्यू० (RFQ), आर०एफ०पी० (RFP) एवं प्री-बिड कांफ्रेन्स के आधार पर समय समय पर उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के आधार पर पर्यटन विभाग के बन्द/घाटे में चल रहे/असंचालित 05 पर्यटक आवास गृहों-राही पर्यटक आवास गृह, संकिसा (फरूर्खाबाद), राही पर्यटक आवास गृह, नरौरा (बुलन्दशहर), राही पर्यटक आवास गृह, देवकली (औरैया), राही पर्यटक आवास गृह, गोकुल रेस्टोरेण्ट (मथुरा) तथा राही पर्यटक आवास गृह, बिठूर (कानपुर) के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदा कर्ताओं (बिडर्स) में से उच्चतम निविदाकर्ता (एच-1) फर्म को इकाई लीज पर दिये जाने एवं फर्म से अनुबन्ध किये जाने पर अनुमोदन।

(ख) पर्यटन विभाग के 07 पर्यटक आवास गृहों-राही पर्यटक आवास गृह, मुंशीगंज (अमेठी), राही पर्यटक आवास गृह, देवाशरीफ (बाराबंकी), राही पर्यटक आवास गृह, सोरों (एटा), राही पर्यटक आवास गृह, कान्धला (शामली), राही पर्यटक आवास गृह, खुर्जा (बुलन्दशहर), राही पर्यटक आवास गृह, हरगांव (सीतापुर) तथा राही पर्यटक आवास गृह, पटना पक्षी विहार (एटा) इकाईयों की आर०एफ०क्यू० की ई-निविदा के सापेक्ष निविदा कर्ताओं (बिडर्स) को शार्टलिस्ट करते हुए सार्वजनिक निजी सहभागिता निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा अन्तिमीकृत आर०एफ०पी० प्रपत्रों पर अनुमोदन।

(ग) जनपद अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेन्टर, अयोध्या की आर०एफ०क्यू० की प्रकाशित ई-निविदा के सापेक्ष शार्टलिस्टेड निविदा कर्तामों (बिडर्स) के मध्य जारी आर०एफ०पी० के सापेक्ष प्राप्त पृच्छाओं को समाहित करते हुए सार्वजनिक निजी सहभागिता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निविदा मूल्यांकन समिति (पी०पी०पी०बी०ई०सी०) द्वारा अन्तिमीकृत आर०एफ०पी० प्रपत्रों पर अनुमोदन।

(घ) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा० मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

12- उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन से पूर्व निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) उक्त परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय भार वहन नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में पी०पी०पी० गाइडलाइन्स-2018 (यथासंशोधित-2018) में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों / अधिनियमों / शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भक्दीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ०प्र०।
5. **अपर मुख्य सचिव/सचिव प्रमुख/सचिव,**

   वित्त विभाग/न्याय विभाग/नियोजन विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/राजस्व विभाग/संस्कृति विभाग, उ०प्र० शासन।
6. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन, अयोध्या।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in